

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 71/2021

RCMS No. : 2021/219

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थी :-
आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. मोतीलाल प्रजापत पुत्र श्री देवाराम प्रजापत मैसर्स गणेश मोती किराणा मॉल मैन चौराहा देसूरी पाली 2. मैसर्स गणेश मोती किराणा मॉल मैन चौराहा देसूरी जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।


—: निर्णय :-

दिनांक : 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद नोटिस तामिल अनुपस्थित होने से प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 7.7.2021 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स गणेश मोती किराणा मॉल मैन चौराहा देसूरी पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। दुकान पर मालिक व विक्रेता की हैसियत से अप्रार्थी मोतीलाल प्रजापत उपस्थित मिला जो आमजन को वनस्पति बेच रहा था। मालिक विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगा जो मौके पर मौजूद था। मैसर्स का निरीक्षण करने पर पाया कि वहां दुकान में वनस्पति पैक अवस्था में बेचने हेतु रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि वनस्पति का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार पैकेट वनस्पति वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 250/-रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा वनस्पति को चार बराबर मात्रा में विभक्त करके चारों नमूनों को पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1245 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कर अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमूने को मेरे स्वयं के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला



  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली (राज.)

जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/424/एक्ट/2021/521 दिनांक 15.7.2021 के अनुसार मेरे द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया वनस्पति का नमूना कोड संख्या आर-1245 Misbranded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded वनस्पति का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 7.7.2021 को अप्रार्थी की दुकान से वनस्पति को वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1245 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंगन प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबन्ध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की दुकान से वास्ते जांच लिये गये वनस्पति नमूना कोड संख्या आर-1245 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से रिपोर्ट संख्या एल.एस/424/एक्ट/2021/521 दिनांक 15.7.2021 अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया वनस्पति का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया जिसका अप्रार्थी द्वारा विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) वनस्पति का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये तथा अप्रार्थी संख्या 2 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये अर्थात् कुल तीन लाख रुपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली